

अपमान का बदला लेने के लिए की गई थी चिकित्सक की हत्या

ज्यादा बिल को लेकर हुआ था विवाद, तीन नाबालिग आरोपी पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के गड्डा कालोनी स्थित तीन बिस्तर वाले नर्सिंग होम में यूनानी चिकित्सक जावेद अख्तर की हत्या डांट और अपमान का बदला लेने के ली की गई थी। हत्याकांड में शामिल दो नाबालिगों को स्थानीय पुलिस की टीम ने पकड़ा है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने आनंद विहार इलाके से पकड़ा है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किया गया कट्टा बरामद कर लिया है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजेश

हत्याकांड में शामिल दो नाबालिगों को स्थानीय पुलिस की टीम ने पकड़ा है, जबकि एक आरोपी को अपराध शाखा की टीम ने आनंद विहार इलाके से पकड़ा है।

देव ने शुक्रवार को बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जावेद अख्तर ने उनका इलाज किया और बाद में 1200 रुपए का बिल बना दिया। इस पर एक नाबालिग ने विवाद किया और आरोप लगाया कि उससे अधिक शुल्क लिया जा रहा है और इसके कारण तीखी बहस हुई। हालांकि, नाबालिग ने 400 का भुगतान किया और फिर अस्पताल से चला गया। पुलिस ने बताय कि जांच के दौरान

पता चला कि चिकित्सक जावेद और अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे डांट और अपमानित किया था। उसके बाद वह करीब दस दिन पहले अपनी मौसी के साथ फिर से अस्पताल में पहुंचा और पट्टियां हटाने की बात कही। उस वक़्त कर्मचारियों ने मना कर दिया और जावेद ने फिर से उसे डांटा। इसी दौरान आरोपी ने जावेद को सबक सिखाने की बात ठान ली और वहां से चला गया। इसी दौरान एक अन्य नाबालिग को चोट लग गई और वह इलाज के लिए उसी अस्पताल में गया, जहां उसने अस्पताल की रेकी की और वारदात वाली रात को दो नाबालिगों में से एक ने जावेद अख्तर की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

केजरीवाल ने छोड़ा मुख्यमंत्री आवास, परिवार के साथ नए घर में पहुंचे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। राजनीति में आने से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अरविंद केजरीवाल परिवार के संग रहते थे। जब वे पहली बार 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब आइटीओ के समीप तिलक लेन के सरकारी फ्लैट में कुछ समय तक रहे। दोबारा वर्ष 2015 में जब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल सिविल लाईंस स्थित इसी सरकारी आवास में रह रहे थे। शुक्रवार को अखिरकार यह आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मिश्र के फ़िरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में परिवार संग चले गए।

सिविल लाईंस 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित



नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास खाली कर अपने परिवार के साथ नए घर जाते अरविंद केजरीवाल।

मुख्यमंत्री आवास को खाली करने से पहले केजरीवाल व उनके परिवार को वहां के कर्मचारियों ने भावुकतापूर्ण माहौल के बीच विदा किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को गले लगाया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक सरकारी अधिकारी को आवास की चाबी सौंपी। छह, फ्लैग स्टाफ बंगला दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में आता है। केजरीवाल परिवार ने गृह प्रवेश की रस्म अदा करने के बाद अपने नए घर में प्रवेश किया।

शपथ पत्र की मूल प्रति जला दें केजरीवाल : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि केजरीवाल अपने नए आवास 5 फ़िरोजशाह रोड के सामने मीडिया कैमरों के समक्ष 7 जून 2013 को लिखे गए शपथ पत्र की मूल प्रति जला दें। ताकि दिल्ली की जनता आगे से उनसे नैतिकता को लेकर कोई प्रश्न ना पड़े।

इस शपथ पत्र में उन्होंने दिल्लीवालों को कभी सरकारी बंगला, गाड़ी व सुरक्षा ना लेने का वादा दिया था। लेकिन वो जो संकल्प करते हैं असल में ठीक उसका उल्टा करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनका बंगला लेना, सुरक्षा लेना और अन्य सुविधाएं लेना एक प्रोटोकाल व सुरक्षा के चलते था लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं सिर्फ एक विधायक हैं। तो फिर उन्हें बंगला मोह क्यों है। एक विधायक होकर सांसदों की सुविधा लेना किसी भी तरह से सही नहीं है।

एक से निकल कर दूसरे ‘शीशमहल’ जा रहे हैं : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी न लेने की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल एक ‘शीशमहल’ से निकल कर दूसरे सरकारी ‘शीशमहल’ में रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पूरी पार्टी केजरीवाल को भागवान बनाने की नौटंकी कर रही है कि अब केजरीवाल आम आदमी के बीच रहेंगे। परंतु सच्चाई तो यह है उनका शीशमहल का मोह खत्म होने वाला नहीं है। जनता की अदालत लगाने वाले एक बार फिर जनता की पहुंच से दूर हो गए हैं। यादव ने कहा कि लोगों की परेशानियों का हल करने का दावा करने वाले केजरीवाल अपनी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के पास उनके राज्यसभा सांसदों के सरकारी आवास की सुविधा थी, तब सरकार के पार्टी मुखिया होने के नाम पर आवंटन का ढोंग क्यों रचा।

शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम लेने वाले अधिकारी को अंडमान से दिल्ली बुलाया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाल चुके 1996 बैच के दानिक्स कैडर के अधिकारी सी अरविंद को दोबारा दिल्ली बुला लिया गया है। अभी वह अंडमान निकोबार में अपनी सेवा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में उनको खास विभाग में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, 2004 बैच के दानिक्स कैडर के अधिकारी प्रवेश रंजन झा का तबादला दिल्ली से अंडमान

निकोबार किया गया है।

सी अरविंद ही वे अधिकारी हैं जिनके बयान के बाद शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की कथित मिलीभगत की बात सामने आई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने उनके खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था। यह आरोपपत्र केजरीवाल के करीबी विजय नायर द्वारा 100 करोड़ रुपए की रिश्तत और मनीष सिंसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के बयान के आधार पर दायर किया गया था।

बस सुरक्षाकर्मियों की बहाली को लेकर बढ़ी रार

उपराज्यपाल तानाशाही कर युवाओं पर बेरोजगारी थोप रहे हैं : आप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

पूर्व बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच शुक्रवार को जुबानी जंग देखने को मिली। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्व बस मार्शलों की बहाली पर अपनी बात से पलटने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। भारद्वाज ने कहा कि कल भाजपा का एक भी विधायक उपराज्यपाल से मिलने नहीं आया। न उपराज्यपाल ने मिलने का समय दिया और न ही भाजपा विधायक मार्शलों की नौकरी बचाने के लिए सामने आए।

उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए भारद्वाज ने पूछा कि क्या इस तरह की तानाशाही किसी अन्य राज्य में होती है, जहां राज्यपाल के पास मंत्रियों से मिलने का समय नहीं है और जब वे राज्यपाल से मिलने जाते हैं तो पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की जाती है? उन्होंने आरोप लगाया कि एक ‘तानाशाह’ की तरह उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी के युवाओं पर बेरोजगारी थोप रहे हैं।



केजरीवाल ने ही मार्शलों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर ।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्तारूढ़ आप की मंशा मार्शलों को राहत देना नहीं बल्कि उनकी भावनाओं के साथ राजनीति करना है।

गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि जब इनके नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मार्शलों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था। अब वे उन्हें बहाल न करके इन गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला तेज करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि अब नई मुख्यमंत्री आतिशी हैं। वह इन नागरिक स्वयंसेवकों को बहाल क्यों नहीं करतीं? गुप्ता ने कहा कि भाजपा विधायक पांच अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे कैबिनेट नोट बनाने और उस कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बस मार्शलों की निवृत्ति में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का भी अनुरोध करेंगे।



Shri Ramnath Goenka

April 18, 1904 - October 5, 1991

“ Be forthright, be frank, Be fearless, whatever the odds. Never hesitate to take a stand if you believe in it. Never hesitate to speak out boldly against the wrongs. And always, ensure that you illuminate the truth behind the events. ”

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES, IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

SAGILITY INDIA LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Berkmeer India Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation dated July 26, 2021, issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("the RoC"). Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Shareholders at the EGM held on August 25, 2022 the name of our Company was changed to 'Sagility India Private Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru on September 13, 2022. Subsequently, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on May 21, 2024 and the name of our Company was changed to 'Sagility India Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued to our Company by the RoC, on June 20, 2024. For details of changes in the name and registered office address of our Company, see 'History and Certain Corporate Matters' on page 174 of the draft red herring prospectus June 28, 2024 (the "DRHP" or the "Draft Red Herring Prospectus").

Registered Office: No. 23 & 24, AMR Tech Park, Building 2A, First Floor, Hongasandara Village, Off Hosur Road, Bommanahalli, Bengaluru 560068, Karnataka, India;
Corporate Office: AMR Tech Park, Building 2A, Third Floor, Hongasandara Village, Off Hosur Road, Bommanahalli, Bengaluru 560 068, Karnataka, India; Tel: +91- 80-7125 1500
Further, the definition of the term 'Draft Red Herring Prospectus' on page 6 of the DRHP shall hereinafter be read as follows:
E-mail: investorservice@sagilityhealth.com; Website: www.sagilityhealth.com; Corporate Identity Number: U72900KA2021PLC150054

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SAGILITY B.V. AND SAGILITY HOLDINGS B.V.

CORRIGENDUM: Notice to Investors ("Corrigendum")

This corrigendum ("Corrigendum") is with reference to the Draft Red Herring Prospectus dated June 28, 2024 ("DRHP") filed in relation to the proposed Offer of up to 984,460,377 Equity Shares of face value of ₹ 10 each aggregating up to ₹ [●] million. This Corrigendum forms a part of the DRHP, supplements the information in the DRHP and the below changes are to be read in conjunction with the DRHP. Accordingly, relevant references in the DRHP stand updated pursuant to the disclosures in this Corrigendum. In this regard, please note the following:
Pages 90, 92 and 274 of the DRHP inadvertently reflect that all Equity Shares held by the Promoters were in dematerialized form as on date of the DRHP. As disclosed on page 87 of the DRHP, except for the six Equity Shares held by the nominees of our Promoter, all the Equity Shares held by our Promoters are in dematerialized form as on the date of the Draft Red Herring Prospectus. As on the date of this notice, all the Equity Shares held by the Promoters including the six Equity Shares held by the nominees of our Promoter are in dematerialized form.
Accordingly, hereinafter, the disclosure on page 87 of the DRHP in the section titled "Capital Structure - Details of Promoter's contribution locked in for eighteen months" should be read as:
"Details of Promoter's contribution locked in for eighteen months
(v) All the Equity Shares held by our Promoter are in dematerialized form as on the date of the Draft Red Herring Prospectus."
Further, the definition of the term 'Draft Red Herring Prospectus' on page 6 of the DRHP shall hereinafter be read as follows:
"The draft red herring prospectus dated June 28, 2024 read with the corrigendum dated October 4, 2024, issued in accordance with the SEBI ICDR Regulations, which does not contain complete particulars of the price at which the Equity Shares will be Allotted and the size of the Offer, including any addenda or other corrigenda thereto"
This Corrigendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP with the SEBI and the Stock Exchanges and the date hereof, and accordingly, does not include all the changes and/ or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Such changes will be suitably updated in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed.
We undertake to make the update described above suitably in the Red Herring Prospectus and Prospectus to be filed in relation to the Offer.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE ISSUE
<div>ICICI SECURITIES LIMITED ICICI Venture House Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 Email: sagility ipo@icicisecurities.com Investor grievance email: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact person: Harsh Thakkar/ Abhijit Diwan SEBI registration No.: INM000011179</div>	<div>IIFL SECURITIES LIMITED 24th Floor, One Lodha Place Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4646 4728 E-mail: sagility ipo@iiflcap.com Investor grievance email: ig_ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Contact person: Yogesh Malpani / Pawan Kumar Jain SEBI Registration No.: INM000010940</div>	<div>JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED 16th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021 Maharashtra, India Tel: +91 22 4356 6000 E-mail: SagilityIndia.IPO@jefferies.com Investor grievance e-mail: jpl.grievance@jefferies.com Website: www.jefferies.com Contact Person: Suhani Bhareja SEBI Registration: INM000011443</div>	<div>J.P. MORGAN INDIA PRIVATE LIMITED J.P. Morgan Tower, Off CST Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai 400 098 Maharashtra, India Tel: +91 22 6157 3000 E-mail: SAGILITY_IPO@jpmorgan.com Investor grievance e-mail: investorsmb.jpmpl@jpmorgan.com Website: www.jpmpl.com Contact Person: Vidit Jain / Akhand Dua SEBI Registration: INM000002970</div>	<div>LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 063, Maharashtra, India Tel: +91 810 811 4949 E-mail: sagility ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: sagility ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR00004058</div>

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place : Bengaluru
Date : October 4, 2024

SAGILITY INDIA LIMITED is proposing, subject to: applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 28, 2024 with SEBI and thereafter with the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com, Jefferies India Private Limited at www.jefferies.com and J.P. Morgan India Private Limited at www.jpmpl.com and the website of our Company at www.sagilityhealth.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 32 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) under Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

www.readwhere.com